

No.2017/HQ/Admin/RTI-**125**

Sh. Bharat Singh
S/o Hoti Lal
Nagala Chhabila, Thana Barhan,
Block & Tehsil : Etmadpur,
Distt: Agra
Uttar Pradesh.



Dear Applicant,

Sub: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना सुलभ कराना।
 Providing information under the RTI Act 2005

Ref: Original application dt. 05.05.2017 received on 14.06.2017 through
 CPM/Tundla office from Shri Bharat Singh R/O Agra, U.P

The Information received from the concerned office is as under:

Information required	DFCCIL serialized answer
Item No. 1	गाटा सं 1168 रकबा 0.1020 हे० भूमि जो राजस्व अभिलेखों में कुम्हार की मिट्टी के नाम से दर्ज है सरकारी भूमि है। जिसका पुनर्ग्रहण किया गया है। जिसके शासनादेश की छायाप्रति संलग्न है।
Item No. 2	गाटा सं 1168 रकबा 0.1020 हे० भूमि जो राजस्व अभिलेखों में कुम्हार की मिट्टी के नाम से दर्ज है सरकारी भूमि होने के कारण से अधिग्रहण नहीं पुनर्ग्रहण की कार्यवाही की गई है।
Item No. 3	गाटा सं 1168 रकबा 0.1020 हे० भूमि जो राजस्व अभिलेखों में कुम्हार की मिट्टी के नाम से दर्ज है सरकारी भूमि होने के कारण से अधिग्रहण नहीं पुनर्ग्रहण की कार्यवाही की गई है।
Item No. 4	गाटा सं 1168 रकबा 0.1020 हे० भूमि जो राजस्व अभिलेखों में कुम्हार की मिट्टी के नाम से दर्ज है सरकारी भूमि है। जिसका पुनर्ग्रहण किया गया है।
Item No. 5	गाटा सं 1168 रकबा 0.1020 हे० भूमि जो राजस्व अभिलेखों में कुम्हार की मिट्टी के नाम से दर्ज है सरकारी भूमि होने के कारण से अधिग्रहण नहीं पुनर्ग्रहण की कार्यवाही की गई है।
Item No. 6	गाटा सं 1168 रकबा 0.1020 हे० भूमि जो राजस्व अभिलेखों में कुम्हार की मिट्टी के नाम से दर्ज है सरकारी भूमि होने के कारण से अधिग्रहण नहीं पुनर्ग्रहण की कार्यवाही की गई है।
Item No. 7	सरकारी भूमि होने के कारण से उपरोक्त भूमि का मुआवजा वितरण से कोई संबंध नहीं है। अतः जानकारी साझा करना आवश्यक नहीं है।
Item No. 8	सरकारी भूमि होने के कारण से उपरोक्त भूमि का मुआवजा वितरण से कोई संबंध नहीं है। अतः जानकारी साझा करना आवश्यक नहीं है।
Item No. 9	सरकारी भूमि होने के कारण से उपरोक्त भूमि का मुआवजा वितरण से कोई संबंध नहीं है। अतः जानकारी साझा करना आवश्यक नहीं है।
Item No. 10	गाटा सं 1168 रकबा 0.1020 हे० भूमि जो राजस्व अभिलेखों में कुम्हार की मिट्टी के नाम से दर्ज है सरकारी भूमि है। जिसका पुनर्ग्रहण किया गया है। जिसके शासनादेश की छायाप्रति संलग्न है।
Item No. 11	गाटा सं 1168 रकबा 0.1020 हे० भूमि जो राजस्व अभिलेखों में कुम्हार की मिट्टी के नाम से दर्ज है सरकारी भूमि है। जिसका पुनर्ग्रहण किया गया है। जिसके शासनादेश की छायाप्रति संलग्न है।
Item No. 12	इस कार्यालय में प्रार्थी द्वारा आज तक कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त की जानकारी जिस कार्यालय में आवेदन किया गया है, वहां से प्राप्त करें।
Item No. 13	सरकारी भूमि होने के कारण से उपरोक्त भूमि का मुआवजा वितरण से कोई संबंध नहीं है। अतः जानकारी साझा करना आवश्यक नहीं है।
Item No. 14	इस कार्यालय में प्रार्थी द्वारा आज तक कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त की जानकारी जिस कार्यालय में आवेदन किया गया है, वहां से प्राप्त करें।

Item No. 15	सरकारी भूमि होने के कारण से उपरोक्त भूमि का मुआवजा वितरण से कोई संबंध नहीं है।
Item No. 16	सरकारी भूमि होने के कारण से उपरोक्त भूमि का मुआवजा वितरण से कोई संबंध नहीं है। अतः जानकारी साझा करना आवश्यक नहीं है।
Item No. 17	सरकारी भूमि होने के कारण से उपरोक्त भूमि का मुआवजा वितरण से कोई संबंध नहीं है। अतः जानकारी साझा करना आवश्यक नहीं है।
Item No. 18	सरकारी भूमि होने के कारण से उपरोक्त भूमि का मुआवजा वितरण से कोई संबंध नहीं है। अतः जानकारी साझा करना आवश्यक नहीं है।
Item No. 19	गाटा सं 1168 रकबा 0.1020 हे० भूमि जो राजस्व अभिलेखों में कुम्हार की मिट्टी के नाम से दर्ज है सरकारी भूमि होने के कारण से अधिग्रहण नहीं पुनर्ग्रहण की कार्यवाही की गई है। नक्शे की छायाप्रति बिन्दु 04 के साथ संलग्न है।

अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पता है: श्री सतीश कोठारी, ग्रुप महाप्रबंधक/प्रशासन, डी एफ सी सी आई एल, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग, पांचवी मंजिल, नई दिल्ली-110001 जिन्हें इस उत्तर के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर इस सूचना आवेदन के संबंध में निःशुल्क अपील की जा सकती है।

(Handwritten signature)

(तेजपाल चावला)

(Tejpal Chawla)

उप महाप्रबंधक/प्रशासन/आर टी आई

DGM/Admin/RTI

DA : As above

Ccto Agra